विवरण

30 जून, 1986 तक राज्य-वार बैंक कार्यालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	4130
2	असम	975
3	बिहार	4229
4	गुजरात	3085
5	हरियाणा	1111
6	हिमाचल प्रदेश	552
7	जम्मू और काश्मीर	727
8	कर्नाटक	3926
9	केरल	2724
10	मध्य प्रदेश	3737
11	महाराष्ट्र	4919
12	मणिपुर	67
13	मेघालय	130
14	नागालैंड	66
15	उड़ीसा	1735
16	पंजाब	2004
17	राजस्थान	2681
18	सिक्किम	19
19	तमिल नाडु	3930
20	उत्तर प्रदेश	7345
21	त्रिपुरा	136
22	पश्चिम बंगाल	3418
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14
24	अरुणाचल प्रदेश	54
25	चंडीगढ	107
26	दादर और नागर हवेली	6
27	दिल्ली	1059
28	गोवा दमन और दीव	260
29	लक्षद्वीप	5
30	मिजोरम	51
31	पांडिचेरी	63
	कुल	53265

Number of ex-armymen in the country

1042. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the total number of ex-armymen in the country, till December, 1986;

(b) what is the number of ex-armymen employed during the last two years as on date; and

(c) what is the number of ex-armymen employed in the Government service during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH): (a) to (c) Separate figures of ex-armymen are not available.

There were about 43.73 lakhs of ex-servicemen as per information collected during the year 1985.

According to available information, the total number of ex-servicemen who got re-employment during the year 1985 was 23234. In regard to 1986, figures for the half year January to June only are available and for this period the number who got re-employment was 11,745.

The Central Government and State Governments have employed 20,781 and 10,358 ex-servicemen during the year 1985 and the half year January to June 1986 respectively.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

1043. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य की कितनी बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं ।

(ख) प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्वीकृति का प्रतिवेदन किस-किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था और इस समय प्रत्येक परियोजना किस अवस्था में है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) प्रत्येक 2000 हैक्टेयर के खेती योग्य नियंत्रण क्षेत्र या इससे कम प्रत्येक लघु सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए नहीं भेजी जाती हैं । योजना आयोग में स्वीकृति के वास्ते मध्य प्रदेश की कोई बड़ी सिंचाई योजना कार्यवाही के लिए बकाया नहीं है तथापि, 4 बड़ी परियोजनाएं हैं, इनके नाम, योजना आयोग में स्वीकृति के लिए प्राप्त होने की तारीख और स्वीकृति की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) विवरण में उल्लिखित मुद्दों पर अनुपालन के वास्ते शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संबंधित केन्द्रीय और राज्य संगठनों से अनुरोध किया गया है ।

विवरण

मध्य प्रदेश की बड़ी सिंचाई स्कीमें

क्रमांक	स्कीम का नाम	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश की ता०	विलंबन का कारण
1	माहन	7-6-1983	1. पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। 2. राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत किया जाना है।
2	राजघाट नहर	6-1-1983	1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र से गुजरती हुई दतिया कैरियर नहर को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
3	सिंध नदी सिंचाई चरण-2	1-12-1983	1. राज्य की वित्त सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
4	नर्मदा सागर	22-3-1984	1. पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्रमांक	स्कीम का नाम	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश की ता०	निलंबन का कारण
			2. नर्मदा सागर बांध जो एक अंतर-राज्यीय परियोजना है, जिस की लागत में हिस्सेदारी के लिए गुजरात की विशेष सहमति प्राप्त की जानी है।

Annual Plan, 1987-88 for Bihar

1044. SHRI MAHENDRA PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total outlay for the annual plan 1987-88 for the State of Bihar approved by the Planning Commission;

(b) what are the targets of production for the agricultural and industrial sectors contemplated therein and the growth rate likely to be achieved thereby; and

(c) what are the sector-wise allocations of the plan outlay under the contemplated annual plan and the corresponding figures for the previous year (1986-87)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The total outlay for the Annual Plan 1987-88 of Bihar has been fixed at Rs. 1500 crores. However, sector-wise outlays and physical targets are under finalisation in consultation with State Government.

Reserve Bank guidelines on mode of financing

1045. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Reserve Bank of India has recently issued certain guidelines on the definition of investment companies and the mode of financing them in their activities;

(b) if so, what are the details thereto;

(c) whether any action has been taken during the year 1986 on any erring companies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) In terms of paragraph 2(1)(i) of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 dated 20th June, 1977 issued by the Reserve Bank of India, an 'Investment Company' means any company which is a financial institution carrying on as its principal business the acquisition of securities. These directions seek to regulate the acceptance of deposits by these companies and do not extend to the deployment of funds by such companies.

Reserve Bank of India have also, on 24.10.1986, issued comprehensive guidelines to be followed by banks in respect of advances against shares